



दिनांक : 16 जुलाई, 2016

### कार्यालय आदेश

विश्वविद्यालय प्रवेश समिति की आपात बैठक दिनांक 05.07.2016 में लिए गये निर्णय एवं शैक्षिक सत्र 2016-17 में स्नातक स्तर पर प्रवेश में छात्र/छात्राओं की कठिनाईयों के दृष्टिगत विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त राजकीय, अनुदानित एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों को निर्देशित किया जाता है कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, की परिनियमावली के परिनियम 12क.26 एवं 12क.27 में उक्त के सम्बन्ध में निम्न प्राविधान है :-

12क.26-“किसी सम्बद्ध महाविद्यालय में किसी कक्षा अथवा अनुभाग (सेक्शन) में छात्रों की संख्या, अध्ययन कक्ष में व्याख्यान के प्रयोजनार्थ बिना कुलपति की पूर्वानुज्ञा के 60 से अधिक न होगी, किन्तु यह किसी भी दशा में 80 से अधिक न होगी।”

12क.27-“किसी महाविद्यालय द्वारा किसी कक्षा में कोई नया अनुभाग खोलने के पूर्व अपेक्षित अतिरिक्त अध्यापक वर्ग, उनकी अर्हताएं और वेतन, नये अनुभाग की अध्यापन सारिणी, उपलब्ध स्थान तथा अतिरिक्त उपस्कर एवं पुस्तकालय की सुविधाओं की व्यवस्था के सम्बन्ध में पूरी सूचना विश्वविद्यालय को भेजी जायेगी और कुलपति की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त की जायेगी।”

अतः ऐसे महाविद्यालय जो उक्त प्राविधान के अंतर्गत सीट वृद्धि चाहते हो, दिनांक 25.07.2016 तक निम्न विवरण के साथ विश्वविद्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें -

1. अनुमोदित एवं कार्यरत प्राध्यापकों का विवरण।
2. विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत अनुमोदन पत्र।
3. प्राध्यापकों का अद्यावधिक वेतन भुगतान का प्रमाण एवं सम्बंधित खाते का मूल बैंक स्टेटमेंट।
4. उपलब्ध व्याख्यान कक्षाओं का विवरण।
5. पुस्तकालय में उपलब्ध पुस्तकों का विवरण।
6. सत्र 2016-17 में अब तक प्रवेशित समस्त छात्र/छात्राओं की संख्या विषयवार।
7. प्रयोगशालाओं के सुसज्जित होने का विवरण।
8. संलग्न किये जाने वाले अभिलेखों के सत्य होने के सम्बन्ध में रू0 50/- के नोटरीयुक्त फोटो सहित शपथ पत्र।

निर्धारित समयावधि के पश्चात एवं उक्त सूचना के बिना दिये प्रार्थना-पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

/  
कुलसचिव

पत्रांक : कु0स0-2 B स0अ0 / 10334 / विविध आ0- 32-स्नातक सीट वृद्धि-2015 / 2016 तद् दिनांक प्रतिलिपि सूचनार्थ :-

1. मा0 कुलपति जी को सादर सूचनार्थ।
2. प्राचार्य, समस्त राजकीय एवं अनुदानित महाविद्यालय, सम्बद्ध महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।
3. प्रबंधक/प्राचार्य, समस्त स्ववित्तपोषित महाविद्यालय, सम्बद्ध महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।
4. प्रभारी, कम्प्यूटर सेण्टर को इस आशय से कि इस आदेश को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर तत्काल अपलोड कर दे।

/  
कुलसचिव